

E-mail: nsdcollege@gmail.com

Mob. : 84003853100, 9415564041

# Sri Narayan Singh Mahavidyalaya

Kakarghata, Shahabad (Hardoi)

Affiliated to University of Lucknow, Lucknow

College Code : 2089

सेवा में  
कुल सचिव  
लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ

कुल सचिव का कार्यालय  
लखनऊ  
दिनांक 19/05/25  
लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ

दिनांक- 19-05-2025

विषय - विज्ञापन, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के सम्बन्ध में  
महोदय,

आपसे अनुरोध है कि श्री नारायण सिंह महाविद्यालय, ककरघटा, शाहाबाद, हरदोई, का विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।

इंचार्ज (बि. ए. ए. ए.)

19.5.25

प्रबन्धक

श्री नारायण सिंह महाविद्यालय  
ककरघटा, शाहाबाद (हरदोई)

तनवीर रानी अपनी पत्नी से हों प्रताड़ित होकर के अपनी मां वा बच्चों समेत रायबरेली के महिला थाना पहुंचकर महिला थाना अध्यक्ष से न्याय के गुहार लगाई। पति का कहना था कि नजदीकी थाना ऊंचाहार में पीड़ित की पत्नी लगातार झूठे आरोप में ऊंचाहार थाने में शिकायती पत्र देकर अपने पति को फसाने की कोशिश झूठे आरोपों में लगातार करी। जिसको लेकर के थाने में कई बार सुला समझौता किया गया लेकिन पत्नी ने झूठे आरोप से लगातार पति परेशान होकर के नजदीकी थाना ऊंचाहार में शिकायत की पात्र अपनी पत्नी के खिलाफ दिया लेकिन थाने में लगातार आपस में सुला समझौता कर करके भेज दिया जाता था। लेकिन पत्नी के लगातार झूठे आरोपों से परेशान पीड़ित पति रायबरेली की महिला थाना अपनी मां वह बच्चों समेत अपनी पत्नी के कारनामों का बयां करता है।

### श्री नारायण सिंह महाविद्यालय

ककरचटा, शाहवादा जिला- हरदोई  
(संवदता- सर्वनऊ विरविद्यालय, सर्वनऊ)

आवश्यकता है

स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु

जन्तु विज्ञान-चार पद

वनस्पति विज्ञान-चार पद

रसायन विज्ञान-चार पद

भौतिक विज्ञान-चार पद

गणित-चार पद

शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान-

यूजीसी तथा शासन के मानकानुसार होंगे।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सय शैक्षिक

प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों, चार फोटोग्राफ

व आधार कार्ड के साथ आवेदन करें।

प्रबंधक- 9413364041

snsdcollege@gmail.com

### मासूम बालिका संग दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास

संतकबीरनगर। विधि स्वदेश विदेश संवाददाता। साढ़े चार वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पुजारी पर खाना खिलाने के बहाने घर ले जा करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।

### सूचना

आवश्यकता है महावीर प्रसाद मायावती महावि दौलतयारपुर माधौगंज हरदोई एम0एससी0 ग सहा0 आचार्य 02 पद योग्यता व वेतन यूजीसी के के अनुसार।

आवेदन :- mpm1297@gmail.com

9450141141 पर भेजे।

प्रबन्धक :- अनूप कुमार सिंह